

बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनेन्सियल कारपोरेशन लि० पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

अबुल कय्युम अंसारी मेमोरियल भवन, 34, हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001

Ph: 0612-2204975 Fax: 0612-2215994 (Email= bsmfclpatna-bih@gov.in website:www.bsmfc.org)

संख्या:----- नि०/रो०/ऋण/3-08/19

पटना, दिनांक: -----

संशोधित स्वीकृत्यादेश

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना वित्तीय वर्ष 2017-18 के तहत स्वीकृत्यादेश संख्या-1026 दिनांक-27.12.2019 क्रमांक-2, 3 एवं 5 पर अंकित (1) रोबैदा खातून, पति-नसीम शाह, ग्राम-बारी टोला, पो0-बानू छपर, प्रखण्ड-बेतिया, थाना- मूफस्सील, जिला-पश्चिम चम्पारण-845438 को किराना दुकान ट्रेड के लिए ₹ 2,25,000/- ऋण की स्वीकृति दी गई थी। (2) मो0 एकराम, पिता-शेख नमतुल्लाह, ग्राम+पो0+थाना+प्रखण्ड-मझौलिया, जिला-पश्चिम चम्पारण-845454 को पेट्री बॉक्स गोदरेज अलमीरा कारखाना किराना दुकान ट्रेड के लिए ₹ 3,00,000/- ऋण की स्वीकृति दी गई थी। (3) अतिकुर रहमान, पिता-रिजवानुल्लाह, ग्राम+पो0+थाना+प्रखण्ड-भितहा, जिला-पश्चिम चम्पारण-845404 को रेडीमेड होलसेल ट्रेड के लिए ₹ 3,00,000/- ऋण की स्वीकृति दी गई थी। आवेदकों ने ₹ 2,030/- डीडी की राशि जमा नहीं करने पर उनके खाते में RTGS नहीं किया गया था। अतएव पूर्व में निर्गत स्वीकृत्यादेश को निम्न रूप से संशोधित किया जाता है।

Sl. No	कमप्यूटरी क्रमांक	Appl_Name / F/H_Name & Address	Bank A/c No.	Trade	Sanctioned Loan Amount	Less 0.5% Processing Charge	Net Payable Amount
1.	49/266	ROBAIDA KHATUN, W/o- NASIM SHAH, Vill.-BARI TOLA, Block- BETTIAH, PS-MUFFASIL, PO-BANU CHHAPRA, Distt.-WEST CHAMPARAN - 845438, Mobile No-9661061516	A/c No.:- 844501011000150, VIJB0008445	KIRANA SHOP	225000	1125 + 2030 = 3155	221845
2.	59/68	MD EKRAM, S/o- SHEKH NEMTULLAH, Vill + Block + PS + PO- MAJHAULIA, Distt.-WEST CHAMPARAN - 845454, Mobile No - 9471267533	A/c No.:- 31170827762, SBIN0012570	PETI BOX GODREJ ALMIRA KARKHANA	300000	1500 + 2030 = 3530	296470
3.	121/ 2490	ATIKU RAHMAN, S/o- RIZWANULLAH, Vill. + Block + PS + PO-BHITAHA, Distt.- WEST CHAMPARAN - 845404, Mobile No - 9918716824	A/c No.:- 23940100009672, BARB0DHAHWA	READYMADE WHOLE SALE	300000	1500 + 2030 = 3530	296470
TOTAL					8,25,000	10,215	8,14,785

स्वीकृत ऋण राशि में वर्णित ट्रेड में लाभार्थी द्वारा परिसम्पत्तियाँ/सामग्रियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा ऋण राशि से सृजित की गयी परिसम्पत्तियाँ अथवा क्रय की गयी सामग्रियों की भौतिक जाँच कर प्रमण्डलीय कार्यालय के प्रभारी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

उक्त स्वीकृत ऋण को ऋणधारक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान त्रैमासिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया जाना है।

ज्ञापक:- 948


प्रतिलिपि:-सभी ऋणधारकों/ऋण शाखा/ऋण शाखा/(कम्प्यूटर सेल)/ लेखा शाखा/ प्रमण्डलीय कार्यालय प्रभारी को

सूचनार्थ एवं आई०टी०मैनेजर को एस०एम०एस /ई-मेल करने हेतु अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह0/-

प्रबंध निदेशक

दिनांक:- 09-06-2020


प्रबंध निदेशक